कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया म0प्र0

पृ0क्र0 1816 /दो-12-12/85 दतिया, दिनांक 10 /08/2024

प्रतिलिपि :-

1. **समस्त न्यायिक अधिकारीगण, दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर**
2. **अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ दतिया/सेंवढ़ा/भाण्डेर**

की ओर मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की अधिसूचना कमांक 13/2024 के माध्यम से अधिवक्ता श्री सैयद जाकिर अली, एडवोकेट नामांकन क्रमांक 2689/1999 व्यवसाय स्थल- भोपाल म.प्र. को अधिवक्ता अधिनियम-1961 की धारा-35 के अंतर्गत कदाचरण का दोषी पाये जाने पर उनकी अधिवक्ता सनद 06 माह तक के लिए निलंबित किये जाने संबंधी सूचना, क्रमांक 1 पर अंकित अधिकारीगण हेतु ई-मेल के माध्यम से एवं क्रमांक 2 पर अंकित अध्यक्ष/सचिव की ओर प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. **प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, दतिया**

की ओर जिला न्यायालय दतिया की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

10/8/24

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया, म0प्र0

क्रमांक 3339 दिनांक 09/08 (stamp)

मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद

हाईकोर्ट प्रांगण, जबलपुर – 482007,

फोन–कार्यालय:0761–2678877, Email :- bar_council_mp@yahoo.in

दिनांक 03.08.2024

एस.बी.सी. / एम.पी. / डीसी / 3086/ 2024

अधिसूचना क.–13 / 2024

मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा एतद इस अधिसूचना के माध्यम से सभी संबंधित पक्षों एवं सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि **शिकायत प्रकरण कमांक–20 / 2019 श्री मो. हफीज खान एवं अन्य भोपाल विरूद्ध श्री सैयद जाकिर अली, एडवोकेट, नामांकन कमांक–2689 / 1999, व्यवसाय स्थल–भोपाल (म0प्र0)** में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की माननीय अनुशासन समिति –ए जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2023 के अनुसार अनावेदक अधिवक्ता **श्री सैयद जाकिर अली** को अधिवक्ता अधिनियम–1961 की धारा–35 के अंतर्गत व्यवसायिक कदाचरण का दोषी पाये जाने पर उनकी अधिवक्ता सनद आगामी **1 वर्ष की अवधि** के लिये निलंबित की गई थी, साथ ही उन्हें **1,00,000 / –(एक लाख रूपये मात्र)** के अर्थदंड से भी दंडित किया था।

अनावेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त आदेश का पुर्नवलोकन (रिव्यू) किये जाने हेतु समिति से अनुरोध किया गया था। समिति द्वारा **पुर्नवलोकन (रिव्यू) आवेदन क. 01 / 2024** की सुनवाई उपरांत आदेश **दिनांक 16.3.2024** पारित कर अनावेदक अधिवक्ता पर लगाई गई अर्थदंड की राशि **1,00,000 / –(एक लाख रूपये मात्र)** को कम करते हुए **25,000 / –(पच्चीस हजार रूपये मात्र)** की गई थी जिसमें से **राशि 20,000 / –(बीस हजार रूपये मात्र)** शिकायतकर्ता को देने हेतु एवं शेष **5,000 / –(पांच हजार रूपये मात्र)** की राशि स्टेट बार कौंसिल ऑफ म.प्र. के खाते में आदेश की सूचना दिनांक से **4 माह** के अंदर जमा किये जाने हेतु आदेश दिया गया था। साथ ही यह भी आदेशित किया गया था यदि अनावेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त **25,000 / –(पच्चीस हजार रूपये मात्र)** की राशि जमा नहीं की जाती है तो उनकी **अधिवक्ता सनद 6 माह** की अवधि के लिए निलंबित रहेगी। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक तक उक्त राशि जमा नहीं की है।

तदानुसार अनुशासन समिति–ए, जबलपुर द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार **श्री सैयद जाकिर अली, एडवोकेट, नामांकन कमांक–2689 / 1999, व्यवसाय स्थल– भोपाल (म0प्र0)** इस अधिसूचना दिनांक से आगामी **6 माह** तक भारत के किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल अथवा किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने हेतु सक्षम पात्र नहीं रहेंगे।

(गीता शुक्ला)
सचिव

प्रति,

1. सचिव,बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, 21, राउज ऐवेन्यू इंस्टीटूशनल एरिया, नई दिल्ली–110002 ।
2. रजिस्ट्रार,सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,नई दिल्ली।
3. रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
4. रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,म0प्र0 इंदौर एवं ग्वालियर खण्डपीठ।
5. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
6. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मध्य प्रदेश।
7. समस्त जिला एवं उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ म0प्र0।
8. समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश।
9. श्री मो. हफीज खान पिता श्री रमजान खान, वर्तमान पता–101, आजाद नगर, 80 फुट रोड़, अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.) मोबाइल–9098099355
10. श्री सैयद जाकिर अली,एडवोकेट (नामांकन कमांक–**2689 / 1999**), पिता स्व. अजहर अली वर्तमान पता–103–ई ब्लॉक, रिगालिया हाईट्स,कोफेफिजा,भोपाल (म.प्र.) मो. 9340771192।
11. समस्त माननीय सदस्यगण, म0प्र0 राज्य अधिवक्ता परिषद ।
12. कार्यालय प्रभारी, स्टेट बार कौन्सिल कार्यालय,उच्च न्यायालय, प्रांगण इन्दौर/ ग्वालियर को सूचनार्थ ।